फुलिया तुडू और वगैरा

बनाम

बिहार राज्य (अब झारखंड)

सितंबर 14,2007

(डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन,जे. जे.)

दंड संहिता 1860 धारा304 (भाग प्रथम)सहपठित धारा 34 हत्या के लिए अभियोजन मृतक पर लाठी से हमला किया गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई के तहत दोषसिद्धि धारा 302 सहपठित धारा34 और आजीवन कारावास की सजा.दी गई। तथ्यों पर एक प्रहार एक छोटी छड़ी से किया गया था, और जिस स्थान पर हमला हुआ था,उस स्थान पर मंद रोशनी की गई थी-मामले के तथ्यों और धारा में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के आलोक में धारा 299 और धारा 300,धारा के तहत सजा को एक में बदल दिया गया। 304 (भाग 1) सहपठित धारा 34 और दस साल की सजा सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार,अपीलकर्ता बी एम के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण दिन,अपीलकर्ताओं ने बी एम का पीछा किया और बी एम ने बी एस के घर में शरण ली। अपीलार्थी.प्रथम अभियुक्त ने बी एम पर लाठी से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप

उसकी मृत्यु हो गई। जब बी एस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। एफ आई आर दर्ज की गई। जांच पड़ताल की गई। निचली अदालत ने अपीलार्थियों को धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की। यह तर्क दिया गया कि दूसरे अभियुक्त ने मृतक का हाथ पकड़ रखा था जबकि पहले अभियुक्त ने केवल एक लाठी प्रहार किया था जिससे घातक चोट नहीं लग सकती थी। इस प्रकार धारा 302 लागू नहीं थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए,न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. आई पी सी की योजना में, गैर इरादतन हत्या जीनस है और उसकी प्रजाति है 'हत्या', सभी 'हत्या' गैर इरादतन हत्या है, लेकिन इसके विपरीत नहीं। आम तौर पर, गैर इरादतन हत्या की विशेष विशेषताओं के बिना हत्या गैर इरादतन हत्या है, जो हत्या के बराबर नहीं है। सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा तय करने के उद्देश्य से, आई.पी.सी. व्यावहारिक रूप से गैर.इरादतन हत्या के तीन स्तरों को मान्यता देता है। पहला है ' प्रथम श्रेणी की गैर इरादतन हत्या'। यह गैर इरादतन हत्या का सबसे गंभीर रूप है, जिसे धारा 300 में 'हत्या' के रूप

में परिभाषित किया गया है। दूसरी ‘श्रेणी‘ है, दूसरी डिग्री की हत्या, यह पहले भाग के तहत दंडनीय है। यह धारा 304 के प्रथम भाग मे दंडनीय है। तीसरी डिग्री पर गैर इरादतन हत्या,गैर इरादतन हत्या का प्रकार और इसके लिए दी गई सजा भी सबसे कम है, तीन श्रेणियो के लिए प्रदान की गई सजाओं में से जो धारा 304 का दूसरा भाग के तहत दंडनीय है। (पैरा 7),(1001-एफ,जी(1002-ए)

1.2, धारा 299 का खंड (बी)धारा 299 के खंड (2) और (3) के अनुरूप है। धारा 300, खंड के तहत आवश्यक मेन्स रिया की विशिष्ट विशेषता (2), क्या अपराधी के पास विशेष पीड़ित के बारे में जानकारी है। इस तथ्य के बावजूद कि इस तरह के नुकसान के कारण उसे घातक होने की संभावना है। प्रकृति के सामान्य तरीके से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ‘मृत्यु का कारण बनने का इरादा‘ आवश्यक नहीं है, खंड (2)की आवश्यकता। केवल शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा ऐसी चोट लगने की संभावना के बारे में अपराधी के ज्ञान के साथ विशेष पीड़ित की मृत्यु, हत्या को भीतर लाने के लिए पर्याप्त है। इस खंड की परिधि। खंड (2)के इस पहलू को चित्रण (बी)द्वारा व्यक्त किया गया है। धारा 300 में जोड़ा गया। (पैरा 9)(1003 ए-सी)

1.3. धारा 299 का खंड (बी)इस तरह के किसी भी ज्ञान को स्वीकार नहीं करता है,अपराधी की ओर से धारा 300 के खंड (2)के तहत आने वाले

मामलों के उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जहां हमलावर जानबूझकर एक मुट्ठी के प्रहार से मृत्यु का कारण बनता है,यह जानते हुए कि पीड़ित एक बढ़े हुए यकृत,या बढ़े हुए प्लीहा या रोगग्रस्त हृदय से पीड़ित है और इस तरह के प्रहार से यकृत के टूटने, या प्लीहा या हृदय की विफलता के परिणामस्वरूप उस विशेष व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है,जैसा भी मामला हो। यदि हमलावर को पीड़ित की बीमारी या विशेष कमजोरी के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी,और न ही मृत्यु या शारीरिक चोट का कारण बनने का इरादा था जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बन सकता है, तो अपराध हत्या नहीं होगा, भले ही वह चोट जो मृत्यु का कारण बनी हो, जानबूझकर दी गई हो। धारा 300 के खंड (3)में,धारा 299 के संबंधित खंड बी में आने वाले मृत्यु का कारण बनने की संभावना शब्दों के बजाय,"प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त"शब्दों का उपयोग किया गया है। जाहिर है,अंतर मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट और मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त शारीरिक चोट के बीच है। यह भेद ठीक है लेकिन वास्तविक है और यदि इसकी अनदेखी की जाती है तो इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हो सकती है। धारा 299 के खंड (बी बी)और धारा 300 के खंड (3)के बीच का अंतर इच्छित शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु की संभावना की डिग्री में से एक है। इसे अधिक व्यापक रूप से रखने के लिए, यह मृत्यु की संभावना की डिग्री है जो यह

निर्धारित करती है कि क्या एक गैर.इरादतन हत्या सबसे गंभीर,मध्यम या सबसे कम डिग्री की है। धारा 299 के खंड (बी)में 'संभावित' शब्द केवल एक संभावना से अलग संभावित की भावना को व्यक्त करता है।

शब्द शारीरिक चोट...... प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त "का मतलब है कि प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मृत्यु चोट काß*सबसे संभावित*परिणाम होगा। (पैरा 10)(1003.डी.जी; 1004-ए)

1.4. खंड (3)के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का इरादा मृत्यु का कारण बनना है,जब तक कि मृत्यु जानबूझकर शारीरिक चोट या चोटों से होती है जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनती है। (पैरा 11)(1004.ए.बी)

राजवंत वगैरा बनाम केरल राज्य,ए.आई.आर. (1966)एस. सी. 1874,पर निर्भर था।

1.5. विरसा सिंह के मामले द्वारा निर्धारित परीक्षण खंड *तीसरा अब भारतीय कानूनी प्रणाली में अंतर्निहित है और कानून के शासन का हिस्सा बन गया है। आई.पी.सी. की धारा 300 के खंड 3 के तहत,गैर.इरादतन हत्या है,यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं अर्थात (क)मृत्यु का कारण बनने वाला कार्य मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया जाता है या शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया जाता

है और (ख)यह कि जो चोट पहुँचाने का इरादा है वह प्रकृति के सामान्य पाठ््यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट को पहुँचाने का इरादा था जो प्रकृति के सामान्य पाठ््यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था,कि जो चोट मौजूद पाई गई,वह चोट थी जिसे लगाने का इरादा था। (पैरा 15)(1005.ई,एफ,जी)

विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य,ए. आई. आर. (1958)एस.सी. 465,पर निर्भर था।

1.6. धारा 299 का खंड (ग)और धारा 300 का खंड (4) दोनों की आवश्यकता है,मृत्यु का कारण बनने वाले कार्य की संभावना का ज्ञान। धारा 300 का खंड (4) वहां लागू होगा जहां अपराधी का किसी व्यक्ति या व्यक्ति की मृत्यु की संभावना के बारे में ज्ञान जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति से अलग है,उसके आसन्न खतरनाक कार्य के कारण होने की संभावना है,एक व्यावहारिक निश्चितता के लिए अनुमानित है। अपराधी की ओर से ऐसा ज्ञान उच्चतम संभावना का होना चाहिए यह कार्य अपराधी द्वारा मृत्यु या ऐसी चोट के जोखिम के लिए किसी भी बहाने के बिना किया गया है। (पैरा 17)(1006.ए,बी,सी)

आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या वगैरा (1976) 4 एस.सी.सी. 382(अब्दुल वहीद खान,वहीद और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश

राज्य,जे.टी. (2002) 6 एस.सी. 274 और ऑगस्टीन सल्दान्हा बनाम कर्नाटक राज्य,(2003]) 10 एस. सी. सी. 472,संदर्भित।

2. कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, तथ्यात्मक स्थिति की जांच की जानी चाहिए। यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि जब भी एक झटका दिया जाता है तो आई.पी.सी. की धारा 303 को खारिज कर दिया जाता है। यह प्रत्येक के तथ्यों पर निर्भर करेगा। मामला,उपयोग किए गए हथियार, हथियार का आकार, वह स्थान जहाँ हमला हुआ था, हमले की पृष्ठभूमि के तथ्य, शरीर का वह हिस्सा जहाँ प्रहार किया गया था,कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। तत्काल मामले में माना जाता है कि एक छोटी छड़ी से एक प्रहार किया गया था,और जिस स्थान पर हमला हुआ था,वह मंद रोशनी में था। मामला धारा 304 भाग 1 द्वारा कवर किया गया है न कि धारा 302 द्वारा। इसलिए प्रत्येक अपीलार्थी को धारा 34 के साथ पठित धारा 304 भाग 1 के तहत दोषी ठहराया जाता है,न कि आई पी सी की धारा 34 के साथ पठित धारा 242 के तहत। दस साल की अभिरक्षा की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

(पैरा 20 और 21,(1006-ई,एफ,जी)

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 1221 वर्ष 2007

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के 1989 की आपराधिक अपील संख्या 130 में 7.2.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए अरूप बनर्जी और अपर्णा झा।

प्रतिवादी के लिए मनीष कुमार सरन।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत,जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है।

झारखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं निम्नलिखित हैः

बिटिया सोरेन (पीडब्लू-8)बिटी मुर्मू की साली है,जो कि' मृतक' के रूप में। पहले अपीलार्थी का बेटा बीमार पड़ गया और अपीलार्थी/अभियुक्त इस धारणा में थे कि चूंकि मृतक बिटी मुर्मू एक चुड़ैल है इसलिए उसने आरोपी

के बेटे पर जादू किया है और इसलिए वे मृतक के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। घटना की तारीख को जब ग्रामीण एक ग्रामीण झोरा हंसदा के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान घाट गए थे,तो अपीलकर्ता फुलिया टुडू और मालगो सोरेन ने मृतक बिटी मुर्मू का पीछा किया और उसने बिटिया फुलिया टुडू के घर में शरण ली। उसे बाहर निकाला और मृतक नीचे गिर गया। पहले आरोपी फुलिया टुडू ने उस पर लाठी से हमला किया और जब पीडब्लू.8 ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। दूसरे आरोपी उस समय वहां मौजूद थे और घटना के बाद वे वहां से भाग गए। पीडब्लू.8 के पति सहित ग्रामीणो के लौटने के बाद उन्हें जानकारी दी गई। इसके बाद पीडब्लू.8 द्वारा दोपहर 2.30 बजे रानेश्वर पुलिस स्टेशन में फरदबेयान प्रदर्श 3 दिया गया। जिसे अपराध के रूप में दर्ज किया गया और प्रदर्श 5 पहली जानकारी है। रिपोर्ट और जाँच बिजेंद्र नारायण सिंह (पीडब्लू-9) द्वारा की गई थी। पीडब्लू 9,जाँच शुरू करने पर,घटना स्थल पर पहुँचा,जाँच रिपोर्ट तैयार की,प्रदर्श 5 और शव को पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर के अनुरोध के साथ अस्पताल भेज दिया। जाँच पूरी होने पर आरोप पत्र दाखिल किया गया। जैसे ही अभियुक्त व्यक्तियों ने बेगुनाही का अनुरोध किया,मुकदमा चलाया गया।

4. निचली अदालत ने पीडब्लू-8 के साक्ष्य पर विश्वास किया और दोषसिद्धि दर्ज की। आई.पी.सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि,आरोपी किस्टो किस्कु को बरी कर दिया गया।

5. इस मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में उठाया गया था। उच्च न्यायालय से पहले अदालत में यह प्रस्तुत किया गया कि केवल आरोप यह था कि ए2 ने मृतक के हाथ पकड़े थे जबकि ए1 ने लाठी चलाई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अल को दिए गए लाठी प्रहार से घातक चोटें नहीं लग सकती थीं। किसी भी मामले में,केवल एक झटका दिया गया था और इसलिए,धारा 302 का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

6. दूसरी ओर राज्य के विद्वान वकील ने समर्थन किया,उच्च न्यायालय का निर्णय,जिसने जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है,उसके समक्ष दायर अपील को खारिज कर दिया।

7. महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कौन सा उचित प्रावधान था,लागू किया जाता है। आई. पी. सी. की योजना में गैर-इरादतन हत्या जीनस है और 'हत्या' इसकी प्रजाति है। सभी 'हत्या' गैर.इरादतन हत्या है,लेकिन इसके विपरीत नहीं। आम तौर पर हत्या की विशेष विशेषताओं के बिना 'गैर इरादतन हत्या' गैर इरादतन हत्या है जो हत्या के बराबर नहीं है। सजा तय करने के उद्देश्य से सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में आई.

पी. सी. व्यावहारिक रूप से गैर इरादतन हत्या के तीन स्तरों को मान्यता देता है। पहला है,जिसे कहा जा सकता है,प्रथम श्रेणी की गैर.इरादतन हत्या',यह सबसे गंभीर रूप है। गैर इरादतन हत्या,जिसे धारा 300 में 'हत्या' के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरा,इसे दूसरी डिग्री की गैर.इरादतन हत्या कहा जा सकता है।

धारा 304 के पहले भाग के तहत यह दंडनीय है। फिर,यह है तीसरी डिग्री गैर.इरादतन हत्या । यह सबसे कम प्रकार की गैर-इरादतन हत्या और सजा है। इसके लिए प्रावधान किया गया है कि इसके लिए प्रदान किए गए दंडों में भी सबसे कम है तीन श्रेणी। इस स्तर की दंडनीय हत्या धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है।

8. 'हत्या' और 'गैर इरादतन हत्या' के बीच अकादमिक अंतर नहीं है। इस अंतर ' ने हमेशा अदालतों को परेशान किया है। यदि न्यायालय इन धाराओं में विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों के सही दायरे और अर्थ की दृष्टि खो देते हैं तो वे खुद को सूक्ष्म अमूर्तता में खींचने की अनुमति देते हैं। इन प्रावधानों की व्याख्या और उन्हें लागू करने का सबसे सुरक्षित तरीका धारा 299 और 300 के विभिन्न खंडों में उपयोग किए गए मुख्य शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना प्रतीत होता है। निम्नलिखित तुलनात्मक तालिका दोनों अपराधों के बीच अंतर के बिंदुओं को समझने में सहायक होगी।

धारा 299	धारा 300
एक व्यक्ति गैर इरादतन हत्या करता है यदि जिस कार्य से मृत्यु होती है वह कार्य हो गया है	कुछ अपवादों के अधीन गैर इरादतन हत्या, हत्या है अगर वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित होती है, हो गया है

इरादा

(क)मारने के इरादे से मृत्यु या	(1) मारने के इरादे से मृत्यु या
(ख)यदि वह ऐसी षारीरिक क्षति कारित करने के आषय से किया गया है जिसे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।	(2)यदि वह ऐसी षारीरिक क्षति कारित करने के आषय से किया गया है जिसे अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।
	(3)यदि वह किसी व्यक्ति को षारीरिक क्षति कारित करने के आषय से किया गया हो, जो कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त हो।

ज्ञान

इस ज्ञान के साथ कि इस कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है	यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभावना है कि वह कृत्युकारित कर ही देगा। या ऐसी षारीरिक क्षति करेगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। और वह मृत्युकारित करने या पूर्वोक्त रूप के क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिये कार्य करे।

9. धारा 299 का खंड (बी)धारा 299 के खंड (2)और (3)के अनुरूप है धारा 300, खंड (2)के तहत आवश्यक मेन्स रिया कारण की विशिष्ट विशेषता यह है कि अपराधी के पास विशेष रूप से पीड़ित व्यक्ति के ऐसी विशिष्ट स्थिति या स्वास्थ्य की स्थिति में होने के बारे में ज्ञान है जिससे आंतरिक नुकसान होता है। उसके कारण होने वाले घातक होने की संभावना है, इस तथ्य के बावजूद कि प्रकृति के सामान्य तरीके से इस तरह का नुकसान सामान्य स्वास्थ्य या स्थिति में किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह उल्लेखनीय है कि 'मृत्यु का कारण बनने का इरादा' खंड (2)की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। केवल शारीरिक

चोट पहुँचाने का इरादा और अपराधी के ज्ञान के साथ विशेष पीड़ित की मृत्यु के कारण ऐसी चोट की संभावना, हत्या को इस खंड के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त है। खंड (2)के इस पहलू को धारा 300 में संलग्न चित्रण (बी)द्वारा दर्शाया गया है।

10. धारा 299 का खंड (बी)इस तरह के किसी भी ज्ञान को स्वीकार नहीं करता है। अपराधी की ओर से धारा 300 के खंड (2)के तहत आने वाले मामलों के उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जहां हमलावर जानबूझकर एक मुट्ठी के प्रहार से मौत का कारण बनता है, यह जानते हुए कि पीड़ित एक बढ़े हुए यकृत, या बढ़े हुए प्लीहा या रोगग्रस्त हृदय से पीड़ित है और इस तरह के प्रहार से यकृत के टूटने, या प्लीहा या विफलता के परिणामस्वरूप उस विशेष व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है। दिल की,जैसा भी मामला हो। यदि हमलावर को पीड़ित की बीमारी या विशेष कमजोरी के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, और न ही मृत्यु या शारीरिक चोट का कारण बनने का इरादा था, जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बन सकता है, तो अपराध हत्या नहीं होगा,भले ही वह चोट जो मौत का कारण बनी,जानबूझकर दी गई हो। धारा 300 के खंड (3)में, धारा 299 के संबंधित खंड (बी) में आने वाले 'मृत्यु का कारण बनने की संभावना'शब्दों के बजाय, "प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त"शब्दों का उपयोग किया गया है। जाहिर है, अंतर मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट

और मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त शारीरिक चोट के बीच है। यह भेद ठीक है लेकिन वास्तविक है और यदि इसकी अनदेखी की जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हो सकती है। धारा 299 के खंड (बी)और धारा 300 के खंड (3)के बीच का अंतर इच्छित शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु की संभावना की डिग्री में से एक है। इसे अधिक व्यापक रूप से रखने के लिए, यह मृत्यु की संभावना की डिग्री है जो यह निर्धारित करता है कि क्या एक गैर.इरादतन हत्या गंभीर, मध्यम या निम्नतम स्तर की है। धारा 299 के खंड (बी) में 'संभावित' शब्द केवल एक संभावना से अलग संभावित की भावना को व्यक्त करता है। शब्द 'शारीरिक चोट...... प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त "का मतलब है कि प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मृत्यु चोट का 'सबसे संभावित' परिणाम होगी।

11. खंड (3)के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए,यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का इरादा मृत्यु का कारण बनना हो, जब तक कि मृत्यु के कारण प्रकृति का मार्ग। राजवंत वगैरा बनाम केरल राज्य,ए.आई.आर. (1966)एस.सी. 1874 इस बिंदु का एक उपयुक्त उदाहरण है।

12. विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य,ए.आई.आर (1958)एस.सी. 465,न्यायमूर्ति विवियन बोस ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए खंड

(3)के अर्थ और दायरे को समझाया। यह यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष को धारा 300 के तहत मामला लाने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना होगा,'तीसरा'। सबसे पहले,इसे काफी निष्पक्ष रूप से स्थापित करना चाहिए,कि एक शारीरिक चोट मौजूद है; दूसरा चोट की प्रकृति को साबित किया जाना चाहिए। ये विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ जांच हैं। तीसरा,यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष चोट को पहुँचाने का इरादा था,अर्थात,कि यह आकस्मिक या अनजाने में नहीं था या किसी अन्य प्रकार की चोट का इरादा था। एक बार जब ये तीन तत्व मौजूद साबित हो जाते हैं,तो जांच आगे बढ़ती है,और चौथा यह साबित होना चाहिए कि ऊपर बताए गए तीन तत्वों से बनी वर्णित प्रकार की चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। जाँच का यह भाग विशुद्ध रूप से उद्देश्यपूर्ण और अनुमानित है और इसका अपराधी के इरादे से कोई लेना.देना नहीं है।

13. आई.पी.सी. की धारा 300 के खंड 'थर्डली' के अवयवों को प्रसिद्ध न्यायाधीश ने अपनी संक्षिप्त भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत कियाः

इसे जल्दी से कहने के लिए, अभियोजन पक्ष को धारा 300, 'तीसरा' के तहत मामला लाने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना होगा।

सबसे पहले, इसे काफी निष्पक्ष रूप से स्थापित करना चाहिए कि एक शारीरिक चोट मौजूद है।

दूसरा, चोट की प्रकृति को साबित किया जाना चाहिए। ये विशुद्ध रूप से हैं

वस्तुनिष्ठ जाँच।

तीसरा, यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट को पहुँचाने का इरादा था, जिसका अर्थ है कि यह आकस्मिक या अनजाने में नहीं था, या कि किसी अन्य प्रकार की चोट का इरादा था।

एक बार जब ये तीन तत्व मौजूद साबित हो जाते हैं, तो जांच आगे बढ़ती है और,

चौथा, यह साबित किया जाना चाहिए कि अभिवर्णित प्रकार की चोट ऊपर दिए गए तीन तत्वों से बना कारण बनने के लिए पर्याप्त है। प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु। इस भाग की जांच .विशुद्ध रूप से उद्देश्यपूर्ण और अनुमानित है और इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है अपराधी का इरादा।

14. विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित में तीसरे घटक की व्याख्या कीः

शब्द (पृष्ठ 468 पर)ः

"सवाल यह नहीं है कि क्या कैदी का इरादा गंभीर हमला करने का था। चोट या मामूली लेकिन क्या वह चोट पहुँचाना चाहता था उपस्थित होना सिद्ध होता है। यदि वह दिखा सकता है कि उसने नहीं किया या यदि परिस्थितियों की समग्रता इस तरह के निष्कर्ष को सही ठहराती है, तो निश्चित रूप से धारा द्वारा अपेक्षित आशय सिद्ध नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो चोट और इस तथ्य के अलावा कुछ भी नहीं कि अपीलार्थी ने इसे लगाया था, एकमात्र संभावित निष्कर्ष यह है कि वह इसे लागू करने का इरादा रखता था। क्या वह इसकी गंभीरता या गंभीर परिणामों के बारे में जानता था,न यहाँ और न वहाँ। सवाल, जहाँ तक इरादे का सवाल यह नहीं है कि उसका इरादा मारने का था, या किसी विशेष व्यक्ति को चोट पहुँचाने का था गंभीरता की डिग्री लेकिन क्या वह चोट पहुँचाना चाहता था सवाल और एक बार चोट का अस्तित्व साबित होने के बाद इरादा इसका कारण बनने का अनुमान तब तक लगाया जाएगा जब तक कि सबूत या परिस्थितियाँ न हों एक विपरीत निष्कर्ष की गारंटी देता है।

15. जे. विवियन बोस के ये अवलोकन लोकस क्लासिकस बन गए हैं। विरसा सिंह के मामले (ऊपर)द्वारा खंड 'थर्डली' की प्रयोज्यता के लिए निर्धारित परीक्षण अब हमारी कानूनी प्रणाली में अंतर्निहित है और कानून के शासन का हिस्सा बन गया है। आई.पी.सी. की धारा 300 के खंड 3 के

तहत,गैर-इरादतन हत्या हत्या है,यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैंः अर्थात (क)मृत्यु का कारण बनने वाला कार्य मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया जाता है या शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया जाता है; और (बी)कि जो चोट पहुँचाने का इरादा है वह प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट को पहुँचाने का इरादा था जो,प्रकृति के सामान्य पाठ्य dze में,मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था,कि जो चोट मौजूद पाई गई थी वह वह चोट थी जिसे लगाने का इरादा था।

16. इस प्रकार विरसा सिंह के मामले में निर्धारित नियम के अनुसार,यदि अभियुक्त का इरादा प्रकृतिके सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त शारीरिक चोट पहुँचाने तक सीमित था,और विस्तारित नहीं हुआ मौत का कारण बनने के इरादे से,अपराध हत्या होगी।

(ग)धारा 300 में संलग्न इस बिंदु को स्पष्ट रूप से सामने लाता है।

17. धारा 299 का खंड (ग)और धारा 300 का खंड (4)दोनों की आवश्यकता है मृत्यु का कारण बनने वाले कार्य की संभावना का ज्ञान। इस मामले के उद्देश्य के लिए इन दोनों के बीच के अंतर पर अधिक विस्तार करना आवश्यक नहीं है। संबंधित खंड। यह कहना पर्याप्त होगा कि धारा 300 का खंड (4)लागू होगा जहां अपराधी का किसी व्यक्ति या व्यक्तियों

की मृत्यु की संभावना के बारे में ज्ञान, जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों से अलग है, उसके आसन्न खतरनाक कार्य के कारण होने की संभावना है, एक व्यावहारिक निश्चितता के लिए अनुमानित है। अपराधी की ओर से ऐसा ज्ञान उच्चतम संभावना का होना चाहिए,यह कार्य अपराधी द्वारा मृत्यु या ऐसी चोट के जोखिम के लिए किसी भी बहाने के बिना किया गया है।

18. उपरोक्त केवल व्यापक दिशानिर्देश हैं और कास्ट आयरन अनिवार्यता नहीं हैं। अधिकांश मामलों में, उनके पालन से न्यायालय के कार्य में सुविधा होगी। लेकिन कभी.कभी तथ्य इतने आपस में जुड़े होते हैं और दूसरे और तीसरे चरण इस तरह से एक दूसरे में दूरबीन की गई है कि दूसरे और तीसरे चरण में शामिल मामलों को अलग से उपचार देना सुविधाजनक नहीं हो सकता है।

19. राज्य में इस न्यायालय द्वारा स्थिति को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया था आंध्र प्रदेश बनाम रायवरपु पुन्नय्या वगैरा..... (1976) 4 एस.सी.सी. 382,अब्दुल वहीद खान @वहीद वगैरा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य,जे. टी. (2002) 6 एस. सी. 274 और ऑगस्टीन सल्दान्हा बनाम कर्नाटक राज्य,(2003) 10 एससीसी 472.

20. उपरोक्त कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए,तथ्यात्मक स्थिति जाँच की जानी है। यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में

नहीं कहा जा सकता है कि जब भी एक झटका दिया जाता है तो आई.पी.सी. की धारा 303 को खारिज कर दिया जाता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। उपयोग किए गए हथियार, हथियार का आकार, वह स्थान जहाँ हमला हुआ था, हमले की पृष्ठभूमि के तथ्य,शरीर का वह हिस्सा जहाँ प्रहार किया गया था,कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। तत्काल मामले में माना जाता है कि एक छोटी छड़ी से एक प्रहार किया गया था,और जिस स्थान पर हमला हुआ था,वह मंद रोशनी में था। अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग के अंतर्गत आता है न कि आई. पी. सी. की धारा 307 के अंतर्गत

21. इसलिए,प्रत्येक अपीलार्थी को धारा 304 भाग के तहत दोषी ठहराया जाता है। मैंने आई.पी.सी. की धारा 34 के साथ पढ़ा और आई.पी.सी. की धारा 34 के साथ आई. पी. सी. की धारा304 के साथ नहीं पढ़ा। दस साल की अभिरक्षा की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

22. अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा तक दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भरत पूनिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।